

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), सिरौही

क्रमांक / रसद / एफपीएस / 2025 / 615

दिनांक :- 12/6/2025

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर राजस्थान द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक: एफ.17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सिरौही की रिक्त कुल 23 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं (सहकारी समितियां, महिला स्वयं सहायता समूह आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिले की रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	उपखण्ड	नाम उचित मूल्य दुकान	ग्राम पंचायत/ वार्ड	एफ.पी.एस. कोड	आरक्षण की स्थिति
1	सिरौही	मामावली	सरतरा	1189	सामान्य (महिला)
2		धान्ता	सिन्दरथ	1197	अनारक्षित
3		मनोरा	मनोरा	1173	अनारक्षित
4	शिवगंज	बडगांव	बडगांव	1087	अनारक्षित
5		जोगापुरा	जोगापुरा	29804	सामान्य (महिला)
6		ओडा	ओडा	1120	अनारक्षित
7	पिण्डवाडा	आरासणा	तेलपुर	1268	अनारक्षित
8		कोदरला	आदर्श	1214	सामान्य (महिला)
9		वासा	वासा	1282	अनारक्षित
10		मोरस (TSP)	मोरस	29784	अनुसूचित जनजाति
11		पिण्डवाडा	न.पा.वार्ड न0 2 व 6	24609	अनारक्षित
12		पिण्डवाडा	न.पा.वार्ड न0 04	24613	सामान्य (महिला)
13		पिण्डवाडा	न.पा.वार्ड न0 11 व 12	27138	अनारक्षित
14		मुदरला प्रथम	मुदरला	1289	अनुसूचित जनजाति

2

15	आबूरोड (TSP)	मुदरला द्वितीय	मुदरला	1290	अनुसूचित जनजाति (महिला)
16		दोयतरा	दोयतरा	1301	अनारक्षित
17		उपलागढ प्रथम	उपलागढ	29780	अनारक्षित
18		उपलागढ द्वितीय	उपलागढ	1337	अनारक्षित
19		डेरी प्रथम	सुरपगला	1332	अनारक्षित
20		डेरी द्वितीय	सुरपगला	29781	अनुसूचित जनजाति (महिला)
21		नयाखेडा, आबूरोड	न.पा.वार्ड न0 16	13263	अनुसूचित जनजाति
22		तरतोली	मोरथला	29779	सामान्य (महिला)
23	रेवदर	पेरवा	लुणोल	28962	अनारक्षित

उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ:-

- शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करना है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जायेगी कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार-पत्र दिया जावेगा।

- iii. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जावेगा।
- iv. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरांत जिस वितरण स्थल हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 x 20= 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे।
- v. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखें जाने का प्रावधान रखें गये है। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
- vi. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional Toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

आवेदन का तरीका :-

- i. आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 से 30.06.2025 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय, सिरोही से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2025 से 11.07.2025 को सांय 06.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय, सिरोही में जमा करवाये जाने होंगे।
- ii. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

● आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

1. शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 06 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
3. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदन सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा।
6. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संविक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।
8. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगा :-
 - a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 - b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 - c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 - d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - e. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
 - f. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथना किया जायेगा।

2

9. मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
14. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम रंगीन फोटो जिनमें से एक आवेदन पत्र चस्पा किया जायेगा एवं दो संलग्न किये जायेंगे।

● चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-

(क) प्रथम वरीयता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में आधार पर चयन किया जायेगा :-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुहेशीय सहकारी समिति) दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

नोट:- यदि क्रम संख्या 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

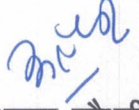
(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
 - i. निःशक्तजन
 - ii. महिलायें

(क) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता

2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू होने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा-निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय सिरोही और विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/नहीं भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।


(अल्पा चौधरी)

जिला कलेक्टर (रसद)
सिरोही

क्रमांक/रसद/एफपीएस/2025/ 615

दिनांक :- 12/6/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र जालोर-सिरोही।
2. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र सिरोही-शिवगंज, पिण्डवाडा-आबू एवं रेवदर।
3. श्रीमान् अति. मुख्य सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोगामर, खाद्य विभाग जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को सिरोही के स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक कार्यालय हाजा।
9. नोटिस बोर्ड, जिला कलेक्ट्रेट सिरोही/उपखण्ड अधिकारी (समस्त)/विकास अधिकारी (समस्त) तहसीलदार (समस्त)/आयुक्त, नगर परिषद/अधिशायी अधिकारी/नगरपालिका (समस्त)
10. रक्षित पत्रावली।


जिला रसद अधिकारी
सिरोही